प्रारूप-30

Form-1

For Project Nonlinear Projects

Government of india office at the District Collector Tehri Garhwal

No. 318/XXV/- ACCT (2021.22)

Dated 30-3-2022

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of Ministry of Enviornment and Forests (MoFF) Government of india's letter no. 11-98-FC (pt) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initialect and completed the process of settlement of rights under the Scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act, 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relanation in respect of non linear projects it is certified that 0.20 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Executive Officer, Nagar panchayat Gaja for Const. of Garage in Tehri Garhwal district falls within jurisdiction of Gaja Tehsil.

It is further certified that

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **0.20 Hectares** of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultations and meetings of the forest rights committee (s) Gram sabha (s) sub, Division level committee (s) and the district level committee (s) are enclosed as annexure 30.1 to annexure 3.4,
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the government as the required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram sabha have given their consent to it,
- (c) The proposal does not involve recognized rights of primitive tribal groups and preagricultural communities.

Date:-

Encl. As above.

Signature

(जिला मेजिस्टेट)

District Collector

Tehri Garhwal

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER DISTRICT, Tehri Garhwal (U.K)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Tehri district, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mrs. Iva Ashish Srivastava I.A.S deputy commissioner, Tehri Garhwal on dated 30.03.2022 at Tehri in which application claiming rights in Mail area measuring 0.20 hect for the construction of Garbage forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Narendra Nagar/ Gaja sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee. After scrutiny of the documents by the district level committee.

Place: New Tehri
Dated 30.03:2029

Deputy Comissioner-cum-chairman
District Level Committee

f

It further certified that-Minutes of meeting of Construction of Nagar Panchayat Gaja (Length 50x40=2000sqm) regarding FRA is as following:

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF is issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2005 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **0.20** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Executive Officer Nagar Panchayat Gaja for const of garbage Disposal center Gaja Tehsil.

S.N.	Description	Remark
(a)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.20 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meeting of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) Sub-Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 30.1 toannexure 30.4	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to schedule tribes and other traditional forest Dwellers.
(b)	The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to schedule tribes and other traditional forest Dwellers. No objections certificate concerned villages regarding construction of aforesaid construction of Motor Road is attached.
(c)	The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Preagricultural communities.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to schedule tribes and other traditional forest Dwellers.

प्रधानीय चन अस्य मरेन्द्रनगर चन प्रभाग च्युन-को-नेती

> सत्येन्द्र धनोलाँ य जिला पंचायत, गौसारी,

सदस्य जिला पैचायत, गौसारी, सदस्य जिला योजना, समिति टि० ग0 जिला समाज कल्याण अधिकारी टिहरी गढवाल Vohal (S.K.)

जिला मजिस्ट्रेट टिहरी गढ़वाल।

प्रारुप-30.2

परियोजना का नाम :— जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र एवं विकास खण्ड नरेन्द्रनगर में नगर पंचायत गजा के नव सृजित नगर पंचायत गजा में कूड़ा निस्तारण हेतु उपयुक्त वनभूमि का प्रस्ताव। (लम्बाई 50x40=2000 वर्ग मीटर)

कार्यालय उप जिलाधिकारी, नरेन्द्रनगर अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र

खण्ड स्तरीय समिति, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, नरेन्द्रनगर

नगर पंचायत परिक्षेत्रान्तर्गत गजा तहसील के अन्तर्गत कूडा निस्तारण हेतु (0.20 हे0 आरक्षित वन भूमि, सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.00 हे0 एवं नापभूमि 0.00 अर्थात कुल 0.20 हे0 वन भूमि) का प्रस्ताव प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील नरेन्द्रनगर) की दिनांक 13 9 की सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः—

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री के०के० मिश्रा अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1- श्री लक्ष्मीराज चौहान

2- श्री क्राया यामी

3- 别 **为为一qna**

4- श्री प्रीत सिंह नेजी

उपजिलाधिकारी -

उप प्रभागीय वनाधिकारी---

सहायक समाज कल्याण अधिकारी—

ला अध्यक्षार पंचायत गजा

सदस्य सार्वे समाज कल्याण अ

बी०डी०सी० क्षेत्र पंचायत - सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि कूड़ा निस्तारण परियोजना हेतु 0.20 हे0 वन भूमि का प्रस्ताव प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मित से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुषंसा की गई है। संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, मुनिकीरेती द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मित से नगर पंचायत गजा परिक्षेत्र के अन्तर्गत कूडा निस्तारण परियोजना हेतु 0.20 है0 वन भूमि का परियोजना के निर्माण हेतु वन भूमि का प्रस्ताव प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमित प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमित व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अक्ष्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति तहसील- नरेन्द्रनगर जनपद- टिहरी गढ़वाल

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, नई टिहरी, टिहरी गढ़वाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्युंबाही, हेतु प्रेषित।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

प्रारुप

आज दिनांक 13 9 17 को नगर पंचायत गजा में कूडा निस्तारण हेतु भू हस्तानान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में वन अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत खण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक उपजिलाधिकारी नरेन्द्रनगर की अध्यक्षता में हुई। माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है—

क0सं0	अधिकारी का नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
1	श्री लक्ष्मीराज चौहान	उपजिलाधिकारी, नरेन्द्रनगर	तर अभ्याप-पन
	EUR VEIRU	हा नाम - गर्जा जिल्ला-स्टब्स अचापरित द्वसाण पत्र	DIEDN
	e 4 and Edit Hall	e de segret est l'especial (cer en l Le segret de segretation de la segretation	नगर पंचायत गजा टिहरी गढ़वाल
		माहा सर्वास, स्वीत्राण रहे हम संवासक हा	g genales solles
2	श्री भी प्रकाश श्रामी	उप प्रभागीय वनाधिकारी, मुनिकीरेती	63
	The section of the section of		उप एमागीय वनाविकारी नरेन्द्रनसर उप का प्रधान
			गुनि की रेडी
3	श्री	सहायक समाज कल्याण अधिकारी, नई टिहरी	TO THE SHAPE OF
	Saterday SingH		लगाज कल्यांण अधि
	Kana	महत्त्व मृति प्रकाम प्राचित (तेन्त्र) को प्रतिन्त्री	नान्यनगर (विहरी) गढवाल
4	श्री जीत किहनेगी	बी०डी०सी० क्षेत्र पंचायत	Lana
			क्ष्मिय क्षेत्र पंचा यत प्रीकारी विश्वास स्थापितास
			विकास सम्बद्धाः विकास (विकास) विवास सम्बद्धाः
	Best America	OR THE STATE OF STATE	

परियोजना का नाम :— जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र एवं विकास खण्ड नरेन्द्रनगर में नगर पंचायत गजा के नव सृजित नगर पंचायत गजा में कूड़ा निस्तारण हेतु उपयुक्त वनभूमि का प्रस्ताव। (लम्बाई 50x40=2000 वर्ग मीटर)

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र नगर पंचायत का नाम -गजा, जिला-टिहरी गढ़वाल

अनापत्ति प्रमाण पत्र


उत्तराखण्ड में जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत कूडा निस्तारण हेतु (0.20 हे0 आरक्षित वन भूमि, सिविल सोयम भूमि 0.00 हे0, वन पंचायत भूमि शून्य हे0 एवं नामभूमि 0.00 हे0) अर्थात कुल 0.20 हे0 वन भूमि का प्रस्ताव विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में नगर पंचायत गजा द्वारा दिनांक 64 09 1 7 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मित से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि नगर पंचायत गजा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रस्ताव प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

्राम्या प्रवश्न



प्रारुप-30.4

दिनांक <u>04 09 2017</u> को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति ग्राम पंचायत— गजा (गौंसारी)

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ	हस्ताक्षर
	ग्रामवासियों के नाम	
1	श्री अवनामसिंह न्योंसन	3
1	ध्रा अंदर्शनीसह न्यांसर	- 431710E
2	मा दिनेशाबिट ब्लामी	/
3	, अञ्चालमार क्वाली , अञ्चलाकर क्वाली	Pushed Sil
4	, अञ्चलिंह खाती	50
5	प्र यामेन्द्रासिंह न्वाती	00=
6	, फ्रमासर न्यंहल -	- 100110 E
7	मुनिलासंह-लीहान	Johan
8	म उभक्षासर चीहाम	11/2
9	. यूनेन्द्र।सर् न्टेस्ल	Med
10	. क्ष्मा सह न्याहान	hales .
11	भ क्षिराह्में न्यीहरत	Commoning
12	मा - अन्तात। स्ट्र-जीहातं	Tust
13	ना चंदबरी सिंह नेजी	0
14	अस्तिर सिंह नेगी	As .
15	" जागासंह न्याहान -	- 15 Yanvar
16	।। वीवन्द्र सिंह यादारी	Devenus
17	" गुजीर ।सर् नी स्त्र	- Charles
18	ं रेडिक्स सिंह (101)	R. Shan 8
19	मन सिर न्योधान	New
20	अर्थ असन अवनाकि -	AND Continol on
21	By Men Hanlote -	910 Mis Lauler
22		
23	The state of the s	
24		
25		
26		
27		
28		
29	L LOY DUTY	
30		